

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर.....डी.पी.डी......

(शिविर स्थान.....रौल.....)

आदेश

दिनांक...5-5-23.....

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी.....हनेमलिफा प० प० रौल.....
 ...व भू.अ.नि.....रौल.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार.....डी.पी.डी......
 नायब तहसीलदार.....की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम.....हनेमलिफा.....तहसील.....डी.पी.डी......व
 जिला.....कोटा.....की जमाबन्दी सम्बन्ध.....2076-79.....में खाता संख्या.....57.....
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>हनेमलिफा</u>	<u>57</u>	<u>चंडुकि</u> <u>उज</u> <u>नन्दा</u> <u>जाति-पन्ना</u> <u>सा० डेट</u> <u>पालका</u>	<u>चंडुकि</u> <u>हुब</u> <u>नन्दा</u> <u>जाति-केशव</u>

डी.पी.डी.
 उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
 कोटा जिला कोटा (राज.)

क्रमांक :- 28

दिनांक :- 5-5-23

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार.....डी.पी.डी......को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री.....चंडुकि प० प० रौल.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली.....नि हनेमलिफा.....

डी.पी.डी.
 उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी
 कोटा जिला कोटा (राज.)